29/7/2021 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। विपक्षी संख्या 2 अनुपस्थित। आवाज लगवाई गई उपस्थित नही हुए। अतः इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए जाते हैं। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 ने जवाब प्रस्तुत नही कर सीधे बहस हेतु निवेदन किया जिसके बहस प्रकरण अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गयी।

हमने पत्रावली का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता उभय पक्ष पर गहनता से मनन किया। प्रार्थी ग्राम नगरी प०ह० नगरी तहसील चित्तौड़गढ़ स्थित आराजी संख्या 2459 रकबा 0.70 हे० का खातेदार है। प्रार्थी अपनी उक्त खातेदारी की आराजी की पत्थरगढी कराना चाहता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 LR Act स्वीकार किया जाकर ग्राम नगरी प०ह० नगरी तहसील चित्तौड़गढ़ स्थित प्रार्थी की खातेदारी भूमि आराजी संख्या 2459 रकबा 0.70 हे० की बिना किसी के कब्जे मे दखलन्दाजी किए सेटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी किए जाने के आदेश दिए जाते है। पत्थरगढी शुल्क 500.00 रुपए अक्षरे पांच सौ रुपए प्रार्थी वहन करेगा। पालनार्थ तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को लिखा जावे कि पक्षकारान को लिखित सूचना देकर नियमानुसार पत्थरगढी की जांच एवं पालना रिपोर्ट न्यायालय मे प्रस्तुत करें। निर्णय लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से दर्ज हो।

2020
00006

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2021.08.06 12:22:38 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)